रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 13, 1999/आषाढ़ 22, 1921
No. 358] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 1999/ASADHA 22, 1921

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1999

सा. का. नि. 516(अ).— पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करने के लिए आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम 1999 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र के इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली 1980 के नियम (5) में :

(क) उप-नियम (2) के परंतुक को समाप्त किया जाएगा।

(ख) अनुसूची-III-क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

अनुसूची-III-क

(नियम 5 देखें)

क्र.सं.	पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र का विवरण	मूल्य	
		भारत में	विदेशों में
1.	फार्म सं0 1 नया पासपोर्ट जारी करने के लिए (काली स्याही में मुद्रित तथा भारत में सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध है।	नि:शुल्क	लागू नहीं
2.	फार्म सं0 1 नया पासपोर्ट जारी करने के लिए (नीली स्याही में मुद्रित तथा भारत में डाकघरों में उपलब्ध है।	मुद्रण तथा वितरण की लागत के आधार पर इसका मूल्य समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है	लागू नहीं
3.	फार्म सं0 1 नया पासपोर्ट जारी करने के लिए (निर्धारित रंग में मुद्रित तथा नियम 5 के उप नियम (1) के प्रथम परंतुक की धारा (ख) के अन्तर्गत निर्धारित व्यक्तियों के माध्यम से उपलब्ध है।	वही	लागू नहीं
4.	फार्म सं0 2 पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाओं के लिए भूरे/चाकलेटी स्याही में मुद्रित तथा भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध है।	नि:शुल्क	लागू नहीं
5.	फार्म सं0 2 पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाओं के लिए (निर्धारित रंग में मुद्रित तथा नियम 5 के उप-नियम (1) के प्रथम प्रावधान की धारा (ख) के अन्तर्गत निर्धारित व्यक्तियों के माध्यम से उपलब्ध।	मुद्रण तथा वितरण की लागत के आधार पर इसका मूल्य समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है।	लागू नहीं
6.	फार्म सं0 3 गुमशुदा/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के लिए (लाल रंग में मुद्रित तथा भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध	नि:शुल्क	लागू नहीं

IndiaCode

7.	फार्म सं0 3 गुमशुदा/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में नया पासपोर्ट जारी करने के लिए (निर्धारित रंग में मुद्रित तथा नियम 5 के उप-नियम (1) के प्रथम परंतुक की धारा (ख)' के अन्तर्गत निर्धारित व्यक्तियों के माध्यम से उपलब्ध।	मुद्रण तथा वितरण की लागत के आधार पर इसका मूल्य समय-समय पर निर्धारित किया जाना है।	लागू नहीं
8.	फार्म सं0 ई ए पी-1 एक्सटेंशन नया पासपोर्ट जारी करने के लिए तथा ई ए पी-2 एक्सटेंशन पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाओं के लिए।	लागू नहीं	निःशुल्क
9.	फार्म सं0 ई ए पी-5 पहचान प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए।	निःशुल्क	लागू नहीं

.....

[फा. सं. VI/401/39/99]
एस. आर. तयाल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

टिप्पणी :-दिनांक 11 दिसम्बर (1980 बाह्य) अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 697 (ई) के भाग-II खण्ड-III उपखंड (1) द्वारा प्रकाशित मूल नियम बाद में निम्नलिखित अनुसार संशोधित किये गये :

1. अधिसूचना सं0 सा का नि 50 (ई) दिनांक 7 फरवरी, 1981
2. अधिसूचना सं0 सा का नि 469 (ई) दिनांक 24 जून, 1982
3. अधिसूचना सं0 सा का नि 325 (ई) दिनांक 12 अप्रैल, 1983
4. अधिसूचना सं0 सा का नि 494 (ई) दिनांक 16 जून, 1983
5. अधिसूचना सं0 सा का नि 345 (ई) दिनांक 29 मार्च, 1985
6. अधिसूचना सं0 सा का नि 860 (ई) दिनांक 1 नवम्बर, 1985
7. अधिसूचना सं0 सा का नि 1155 (ई) दिनांक 21 नवम्बर, 1988
8. अधिसूचना सं0 सा का नि 100 (ई) दिनांक 4 मार्च, 1991
9. अधिसूचना सं0 सा का नि 503 (ई) दिनांक 10 जुलाई, 1993
10. अधिसूचना सं0 सा का नि 622 (ई) दिनांक 27 जून, 1990
11. अधिसूचना सं0 सा का नि 605 (ई) दिनांक 5 अक्तूबर, 1998

IndiaCode

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 1999

G.S.R. 516(E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act,1967(15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules,1980, namely:-

1. (1)These rules may be called the Passports (Amendment)Rules,1999.
(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passport Rules, 1980, in rule (5) ;
(a) the provisio to sub-rule (2) shall be omitted.
(b) for the SCHEDULE III-A, the following Schedule shall be substitued, namely:-

"SCHEDULE III-A
(See rule 5)

Sl. No.	Description of passport application forms	Price	
		In India	Abroad
1	Form No. 1 for issue of fresh passport (printed in black ink and available at all Passport Offices in India).	Free	Not applicable
2	Form No. 1 for issue of fresh passport (printed in blue ink and available at Post Offices in India)	Price to be specified by Government from time to time based on the cost of production and distribution	Not applicable
3	Form no. 1 for Issue of fresh passport (printed in specified colour and available through persons specified under clause (b) of first provisio to sub-rule (I) of rule 5.	-do-	Not applicable
4	Form No.2 for miscellaneous services on passport (printed in brown/chocolate ink and available at all Passport Offices in India.)	Free	Not applicable
5	Form No.2 for miscellaneous services on passport (printed in specified colour and available through persons specified under clause (b) of first provisio to sub-rule (I) of rule 5.	Price to be specified by Government from time to time based on the cost of production and distribution	Not applicable
6	Form No. 3 for passport to be issued in lieu of lost/damaged passport (printed in red ink and available at all Passport Offices in India)	Free	Not applicable
7	Form No. 3 for passport to be issued in lieu of lost/damaged passport (printed in specified colour and available through persons specified under clause (b) of the first provisio to sub-rule (I) of rule 5.	Price to be specified by Government from time to time based on the cost of production and distribution	Not applicable
8	Forms No. EAP-1 Ext. for issue of fresh passport and EAP-2 Ext. for miscellaneous services on passport.	Not applicable	Free
9	Form No. EAP-5 for issue of Certificate of Identity.	Free	Not applicable"

[F No VI/401/39/99]
S. R. TAYAL, Jt. Secy (CPV)

IndiaCode

Note :—Principal rules published vide Notification No. GSR 697(E) dated December,11,1980 (1980 external)Part II, Section 3, sub-section (i), subsequently amended by:-

1. Notification No. GSR 50(E) dated February 7,1981.
2. Notification No. GSR 469(E) dated June 24,1982.
3. Notification No. GSR 325(E) dated April 12,1983.
4. Notification No. GSR 494(E) dated June 16,1983.
5. Notification No. GSR 345(E) dated March 29,1985.
6. Notification No. GSR 860(E) dated November 1, 1985.
7. Notification No. GSR 1155(E) dated November 21,1988.
8. Notification No. GSR 100 (E) dated March 04,1991.
9. Notification No. GSR 503 (E) dated July 10,1993.
10. Notification No. GSR 622(E) dated June 27,1990.
11. Notification No. GSR 605 (E) dated October 05,1998.

India Code

2095 GI/99-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

IndiaCode